न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध **बैंक प्रकरण संख्या 208 / 2024**(GCMS : 2024/300)

ईक्विटास स्मॉल फाईनन्स बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 4th [illegible] फेज–II स्पेन्सर प्लाजा, नं. 769 माउण्ट रोड़ अन्ना सलाई, चोन्नई–60002, [illegible]नाडू तथा शाखा कार्यालय होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर [illegible] डीसीएम, जयपुर–302019 राजस्थान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>बनाम</u>

1. **रूप सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह** उम्र 39, जाति तरखान, पता वार्ड संख्या 6, 11 क्यू, श्रीगंगानगर – 335038 राजस्थान मोबाईल नं. 8094698722
2. **मनप्रीत कौर पत्नी रूप सिंह** उम्र 41, जाति तरखान, पता वार्ड संख्या 6, 11 क्यू, श्रीगंगानगर – 335038 राजस्थान मोबाईल नं. 7850990903
3. **बलदेव सिह पुत्र सुरजन सिंह** उम्र 76, जाति तरखान, पता 11 क्यू, श्रीगंगानगर – 335038 राजस्थान मोबाईल नं. 7850890903

<u>29.01.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री महादेव प्रसाद मिढ़ा उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक की ओर से प्रकरण को नॉट प्रैस किये जाने का प्रार्थना की। प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. ने अप्रार्थीगण रूप सिंह, मनप्रीत कौर एवं बलदेव सिंह द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी बलदेव सिंह की अचल **सम्पत्ति पट्टा संख्या 60, संकल्प संख्या 15, ग्राम 15 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 3500 वर्गफुट) जिसके पूर्व में इन्द्राज का मकान, पश्चिम में चौक, उत्तर में आम रास्ता व दक्षिण में बीरबल राम का मकान है, का** भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधि[illegible] के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18.12.2024 को प्रस्तुत कर रखा है। प्रार्थी बैंक ऋणी के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई [illegible] नहीं चाहता है [illegible] **नॉट प्रैस**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:42:07 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

करता है और अगर इस प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 18.12.2024 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण रूप सिंह, मनप्रीत कौर एवं बलदेव सिंह के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में बलदेव सिंह की **अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 60, संकल्प संख्या 15, ग्राम 15 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 3500 वर्गफुट) जिसके पूर्व में इन्द्राज का मकान, पश्चिम में चौक, उत्तर में आम रास्ता व दक्षिण में बीरबल राम का मकान है,** का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का नोट प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फर्दअहकाम के हाशिये पर अंकित किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:42:07 IST
Reason: SelfAttested

Manju

(डॉ. मन्जू)

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर